उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-175/2018/3083/92-2-18-19जांच/2016

लखनऊ:: दिनांक:: 06 दिसम्बर,2018

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा ग्राम पंचायत लतीफनगर, विकास खण्ड-सरोजनीनगर, जनपद लखनऊ में निर्मित करायी गयी सी0सी0 रोड की मुख्य प्राविधिक परीक्षक, तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ की जांच आख्या दिनांक 21-09-2016 के अनुसार पी0सी0सी0 1:2:4 लीन कंक्रीट 1:6:12 ब्रिक वर्क 1:4 तथा प्लास्टर 1:4 के कार्य मौके पर किये गये निरीक्षण तथा विभागाध्यक्ष सिविल इंजीनियरिंग विभाग, के0एन0 आई0टी0, सुलतानपुर से प्राप्त रसायनिक परीक्षण में विभागीय मानक के अनुसार निर्माण कार्य कराया जाना नही पाया गया। लीन कंक्रीट 1:6:12 का कार्य निर्मित मार्गो में कमजोर पाये जाने के फलस्वरूप परिलक्षित शासकीय क्षति में रू0 4,651.00 के लिये तथा अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन के समय उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों/शासनादेशों/वित्तीय नियमों के अनुरूप गुणवत्तापूर्वक कार्य सम्पदित न कराये जाने हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के पत्र संख्या-1799/92-2-16-19जांच/2016 दिनांक 02-01-2017 द्वारा श्री रियाज अहमद सिददीकी, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-लखनऊ के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-10(2) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुये उनका स्फ्टीकरण मांगा गया, जिसका बचाव उत्तर श्री रियाज अहमद सिददीकी के पत्र दिनांक 03.02.2017 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया।

2- अपचारी अधिकारी, श्री रियाज अहमद सिददीकी द्वारा अपने बचाव उत्तर में यह उल्लिखित किया गया कि विभागाध्यक्ष सिविल इंजीनियरिंग विभाग के के0एन0आई0टी0, सुलतानपुर की रसायनिक परीक्षण में पी0सी0सी0 1:6 के स्थान पर 1:6:21 एवं लीन कंक्रीट 1:18 के स्थान पर 1:18:87 पायी गयी है जो सहिष्णुता सीमा (10 प्रतिशत कम/अधिक) के अंतर्गत है। इसी प्रकार ग्रामीण अभियंत्रण विभाग एवं लघु सिंचाई विभाग के शासनादेश सं0-2474/62-3-09-88आरई/06 दिनांक 14-07-2009 में निहित व्यवस्था के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण में परियोजना की लागत 30.00 लाख के सापेक्ष परिलक्षित शासकीय क्षति रू0 4,651.00 परियोजना लागत का मात्र 0.155 प्रतिशत है जो सहिष्णुता सीमा 2 प्रतिशत से कम है। उक्त के साथ ही श्री सिददीकी द्वारा यह भी उल्लिखित किया गया है कि शासनादेश दिनांक 14-07-2009 के प्रस्तर-5 के उद्धरण के अनुसार गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु निदेशक एवं मुख्य अभियंता के परिपत्र संख्या-297/ग्रा0अ0से0/निर्माण कार्य/2000-01 दिनांक 28-07-2000 में बेस कंक्रीट को अपने सामने डलवाने का दायित्व अधिशासी अभियंता को नही दिया गया है।

3- अपचारी अधिकारी के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस, अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर एवं संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त पाया गया कि प्रकरण में परिलक्षित शासकीय क्षति संबंधित ठेकेदार द्वारा जमा कर दी गयी है परन्तु मुख्य प्राविधिक परीक्षक, टी0ए0सी0 की तकनीकी जांच आख्या में शासकीय क्षति परिलक्षित होने के दृष्टिगत अपचारी अधिकारी, श्री रियाज अहमद सिददीकी, तत्का0 अधिशासी अभियंता अपने दायित्वों का निर्वहन ठीक प्रकार से न करने का आरोप स्थापित पाया जाता है। अत: शासन के पत्र दि0 02-01-2017 द्वारा श्री रियाज अहमद सिददीकी, तत्का0 अधिशासी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-लखनऊ के विरूद्व निर्गत कारण बताओ नोटिस को निम्नवत "**परिनिन्दा**" का दण्ड देते हुये एतद्द्वारा समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

"जनपद लखनऊ के विकास खण्ड-सरोजनी नगर के ग्राम पंचायत लतीफनगर में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा कराये गये सी0सी0रोड निर्माण कार्य में उदासीनता/लापरवाही बरतने, पर्यवेक्षणीय दायित्वों का निर्वहन न करने के लिए श्री रियाज अहमद सिददीकी, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-लखनऊ को **परिनिन्दित** किया जाता है।"

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-175/2018/3083/(1)/92-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।

2- श्री रियाज अहमद सिददीकी, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रा0अ0वि0, प्रखण्ड-लखनऊ सम्प्रति पीलीभीत द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी0के0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।